

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2019/

4519

जयपुर, दिनांक: 18-12-19

:: आ दे श ::

श्री राजुराम कुमार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 22.10.2019 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 22.10.2019 से राज्य सेवा से सेवा समाप्त/सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री राजुराम कुमार के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को उनके पत्र कमांक 2742 दिनांक 26.11.2019 के क्रम में।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनू, जिला नागौर।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

कमांक:एफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2019/4493 जयपुर,दिनांक: 18-12-19

**:: आ दे श ::**

निम्न कार्मिक अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवाषिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री शंकरलाल कलंत्री	सहायक सचिव	पं.स. चित्तौडगढ़	31.05.2020
2	श्री गणेशलाल शर्मा	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.निम्बाहेडा (चित्तौडगढ़)	30.04.2020
3	श्री कैलाश चन्द्र गर्ग	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स.बेगूं (चित्तौडगढ़)	31.05.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।  
यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरण सिंह कुन्तल)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-II